92/17
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील सूचना अधिकार संख्या 92/2017 अनवानी कमल मिढा पुत्र श्री राजेश मिढा, इन्द्रा मार्केट, श्रीविजयनगर बनाम तहसीलदार, श्रीविजयनगर

15—01—2018

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री कमल मिढ़ा उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित हैं उनके द्वारा तहसीलदार विजयनगर का प्रतिवेदन संख्या 25 दिनांक 11.01.2018 प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। उन्हें सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री कमल मिढ़ा ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 18.08.2017 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, श्रीविजयनगर से निम्न सूचनांए चाही थी:—

1. श्रीविजयनगर तहसील क्षेत्र में सीलिंग जमीन के नक्शे की प्रमाणित प्रतिलिपि देवे।
2. क्षेत्र में किस जमीन को न्यायालय द्वारा सीलिंग में लिया गया था वर्तमान उस जमीन की क्या स्थिती है।
3. न्यायालय द्वारा सिलिंग जमीन के आदेश में निर्माण कार्य की स्वीकृति थी या नही यदि नही तो हुए निर्माण कार्य में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई विवरण देंवे।
4. विभाग द्वारा सिलिंग क्षेत्र में हुए निमार्ण कार्य पर हुई कार्यवाही की रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि देंवे।
5. नई धानमण्डी रोड पर जो सिलिंग क्षेत्र मे अवैध निर्माण हुए उन मे विभाग द्वारा कब—कब, क्या—क्या कार्यवाही की गई समस्त कार्यवाही का विवरण देंवे।
6. सिलिंग क्षेत्र में विद्युत व पेयजल कनेक्शन किस आधार पर दिए गए क्या ये कनेक्शन स्थायी तौर पर दिए गए है।
7. न्यायालय द्वारा सिलिंग जमीन (क्षेत्र) पर रोक लगे हुए होने के बाद कितने निमार्ण कार्यो को विभाग द्वारा रोका गया वह इन पर क्या कार्यवाही की गई समस्त कार्यवाही का पूरा विवरण देवे।
8. पेयजल व विद्युत कनेक्शन जारी करने पर एनओसी मांगी जाती है आपके विभाग व नगरपालिका द्वारा इन क्षेत्रो को एनओसी किस आधार पर जारी की गई।
9. सिलिंग क्षेत्र में आवासीय क्षेत्र में व्यवसायिक कार्य हो रहे है उन पर क्या कार्यवाही अपेक्षित है क्या उनके द्वारा आवासीय क्षेत्र का व्यवसायीकरण करवाया गया है तो उसके नकल की प्रमाणित प्रतिलिपि देंवे।
10. सिलिंग क्षेत्र में संचालित समस्त औद्योगिक, शैक्षिक धार्मिक गतिविधिया वैध है अगर हॉ तो आदेश की प्रति देंवे।

अपीलार्थी ने यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत तहसीलदार, श्रीविजयनगर के विरूद्ध इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किये हुए 30 दिन से अधिक का समय व्यतीत हो जाने पर कोई सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है। 30 दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात जो सूचना उपलब्ध करवाई गई है वह अपूर्ण है एवं सूचना उनके विभाग से संबंधित न होना बताकर सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे निशुल्क उपलब्ध करवाने का आदेश दिया जावे।

अपीलार्थी के अपीलपत्र पर तहसीलदार (राजस्व) श्रीविजयनगर ने अपना प्रतिवेदन सं0 25 दिनांक 11.01.2018 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी का आवेदन पत्र उनके कार्यालय में दिनांक 29.08.2017 को प्राप्त हुआ था जिसका जबाब अपीलार्थी को पत्रांक 308 दिनांक 25.09.2017 को भिजवा दिया गया। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना खोजकर खोजे गये तथ्यों पर आधारित थी जो देय नही है। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना वही देय है जो अभिलेखो में संधारित है। सूचना को खोजकर अलग से संधारण नही किया जा सकता है इस बाबत पत्र सं0 24 दिनांक 11.01.18 से भी अपीलार्थी को अवगत करवाया दिया गया है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे।

जिला कलैक्टर

तहसीलदार (राजस्व) श्रीविजयनगर के उक्त प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत पत्र सं0 308 दिनांक 25.09.17 के अनुसार अपीलार्थी को एक पृष्ठ की सूचना के लिए 2 रूपये का पोस्टल ऑर्डर प्रस्तुत कर सूचना प्राप्त करने के लिए लिखा गया था परिणाम स्वरूप उनके द्वारा एक पृष्ठ की सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई जाकर पत्र पर अपीलार्थी द्वारा एक पृष्ठ की सूचना प्राप्ति के हस्ताक्षर भी लिये गये है। तहसीलदार, श्रीविजयनगर द्वारा उक्त पत्र के साथ अपीलार्थी को निम्नानुसार सूचना उपलब्ध करवाई गई है:–

बिन्दु सं0	सूचना का विवरण	प्रति उत्तर
1.	श्रीविजयनगर तहसील क्षेत्र में सीलिंग जमीन के नक्शे की प्रमाणित प्रतिलिपि देंवे।	सिलिंग सम्बन्धी रकबा का नक्शा अलग से संधारित नही होता है। रकबा विशेष का नक्शा निर्धारित शुल्क जमा करवाकर हल्का पटवारी से प्राप्त किया जा सकता है।
2.	क्षेत्र में किस जमीन को न्यायालय द्वारा सीलिंग में लिया गया था वर्तमान उस जमीन की क्या स्थिती है।	चक 28 जी.बी.बी, 29 जी.बी.ए, 29 जी. बी.बी. में जो रकबा विभिन्न न्यायालयों में प्रकरण विचाराधीन है। सिलिंग सम्बन्धी रकबा का रिकार्ड पटवारी हल्का से नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर प्राप्त की जा सकती है तथा मुताबिक रिकार्ड रकबा आराजी राज दर्ज है।
3.	न्यायालय द्वारा सिलिंग जमीन के आदेश में निर्माण कार्य की स्वीकृति थी या नही यदि नही तो हुए निर्माण कार्य में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई विवरण देंवे।	सिलिंग शुदा रकबा पर निर्माण बाबत इस शाखा में कोई रिकार्ड नही है।
4.	विभाग द्वारा सिलिंग क्षेत्र में हुए निमार्ण कार्य पर हुई कार्यवाही की रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि देवे।	इस शाखा में किसी निर्माण कार्य बाबत कोई कार्यवाही नही की गई है।
5.	नई धानमण्डी रोड़ पर जो सिलिंग क्षेत्र मे अवैध निर्माण हुए उन मे विभाग द्वारा कब–कब, क्या– क्या कार्यवाही की गई समस्त कार्यवाही का विवरण देवे।	इस शाखा में किसी निर्माण कार्य बाबत कोई कार्यवाही नही की गई है।
6.	सिलिंग क्षेत्र में विद्युत व पेयजल कनेक्शन किस आधार पर दिए गए क्या ये कनेक्शन स्थायी तौर पर दिए गए है।	इस विभाग में सम्बधित नही है।
7.	न्यायालय द्वारा सिलिंग जमीन (क्षेत्र) पर रोक लगे हुए होने के बाद कितने निमार्ण कार्यो को विभाग द्वारा रोका गया वह इन पर क्या कार्यवाही की गई समस्त कार्यवाही का पूरा विवरण देवे।	इस विभाग में किसी भी निर्माण कार्य बाबत कोई कार्यवाही नही की गई है।
8.	पेयजल व विद्युत कनेक्शन जारी करने पर एनओसी मांगी जाती है आपके विभाग व नगरपालिका द्वारा इन क्षेत्रो को एनओसी किस आधार पर जारी की गई।	इस विभाग से सम्बधित नही है।
9.	सिलिंग क्षेत्र में आवासीय क्षेत्र में व्यवसायिक कार्य हो रहे है उन पर क्या कार्यवाही अपेक्षित हे क्या उनके द्वारा आवासीय क्षेत्र का व्यवसायीकरण करवाया गया है तो उसके नकल की प्रमाणित प्रतिलिपि देवें।	इस विभाग में सम्बधित नही है।
10.	सिलिंग क्षेत्र में संचालित समस्त औद्योगिक, शैक्षिक धार्मिक गतिविधिया वैध है अगर हो तो आदेश की प्रति देंवे।	इस शाखा से सम्बधित नही है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

तहसीलदार, श्रीविजयनगर द्वारा अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई गई उक्त सूचना के अनुसार बिन्दु संख्या 1 व 2 के लिए संबंधित पटवारी हल्का के पास निर्धारित शुल्क जमा करवाकर सूचना प्राप्त करने के लिए अपीलार्थी को लिखा गया है अपीलार्थी को बिन्दु सं0 1 व 2 की सूचना संबंधित पटवारी हल्का के पास निर्धारित शुल्क जमा करवाकर प्राप्त करनी चाहिए। बिन्दु सं0 6,8,9,10 की सूचना उनके विभाग से संबंधित नही होने से उपलब्ध नही करवाई गई है और बिन्दु सं0 3,4,5,7 के संबंध में कोई रिकार्ड नही होने आदि के कारण सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। **सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।**

तहसीलदार, श्रीविजयनगर को निदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं में से जिन बिन्दूओ की सूचना का संबंध उनके कार्यालय से नही है उन सूचनाओ के लिए अपीलार्थी का आवेदन पत्र सूचना उपलब्ध करवाने के लिए आदेश प्राप्ति से 5 दिवस के भीतर संबंधित विभाग को भिजवावे। अपीलार्थी को भी हिदायत की जाती है कि अन्य विभागो से संबंधीत सूचनाओं का पूर्ण निश्चित विवरण संबंधीत विभाग को प्रस्तुत कर नियमानुसार वांछित सूचना उनसे प्राप्त कर सकते है।

अपीलार्थी की अपील उक्तानुसार निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार (राजस्व) श्रीविजयनगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 15.010.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सा०/

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर